



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 29 मई, 2017 / 8 ज्येष्ठ, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

ELEMENTARY EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 24th May, 2017

No.EDN-C-A(4)-I/2011-Vol.-IV-L.—In continuation to this Department Notification No.EDN-C.-A(4)-I/2011 dated 17th July, 2012 followed by subsequent Notification No.EDN-C-A(4)-I/2011-VOL-I dated 8th September, 2014 and notifications/ instructions issued from time to

time, the Governor Himachal Pradesh is pleased to enhance 30% remuneration of SMC teachers engaged under SMC Policy dated 17-07-2012 by substituting clause 13 & 14 of SMC Policy notified *vide* Notification No.EDN-C-A(4)-112011 dated 17th July, 2012 with immediate effect in the following manner:—

Clause:13 The amount of Grant-in-Aid to a SMC in respect of a Teacher engaged on period basis shall be calculated/provided by the Government in the following manners:—

Sl.No.	Category	Existing	30% enhancement of remuneration
1.	(i) PGT	Rs.150/-per period (for 10+1 and 10+2 classes.)	Rs. 195/-per period (for 10+1 and 10+2 classes.)
	(ii) PGT	Rs.100/-per period (for 9 th and 10 th Classes.)	Rs. 130/- per period (for 9 th and 10 th Classes.)
2.	DPEs	Rs. 100/- per period	Rs.130/- per period
3.	TGT	Rs. 100/- per period	Rs.130/- per period
4.	LT	Rs. 75/- per period	Rs. 97.5/- per period
5.	Shastri	Rs. 75/- per period	Rs. 97.5/- per period
6.	DM	Rs. 75/- per period	Rs. 97.5/- per period
7.	JBTs	Rs. 75/- per period	Rs. 97.5/- per period

Clause:14 Limit of Grant-The per month amount of GIA to a SMC provided teacher will not exceed the following limit:—

Sl.No.	Category	Existing	30% enhancement of remuneration
1.	POT	Rs.6000/-PM	Rs.7800/- PM
2.	DPEs	Rs.6000/-PM	Rs.7800/- PM
3.	TOT	Rs.6000/-PM	Rs.7800/- PM
4.	LT	Rs.4500/-PM	Rs.5850/-PM
5.	Shastri	Rs.4500/-PM	Rs.5850/-PM
6.	DM	Rs.4500/-PM	Rs.5850/-PM
7.	JBTs	Rs.3500/-PM	Rs.4550/-PM

By order,

Sd/-

Addl. Chief Secretary(Education).

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 23rd May, 2017

No. EDN-A-Ka(1)-5/2012.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to open the following new Government Degree College (s) with effect from the next academic session 2017-18 *i.e.* from the session June, 2017, in public interest ;—

1. Government Degree College Jainagar, District Solan (H.P).
2. Government Degree College Darlaghat, District Solan (H.P).

By order,
Sd/-
Principal Secretary (Education).

नगर एवं ग्राम योजना विभाग
हिमाचल प्रदेश

प्ररूप-6

विद्यमान भू-उपयोग नक्शे के अंगीकार करने का नोटिस
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रिकांगपिओ

दिनांक : 27 मई, 2017

संख्या:हिम/एस/डी/टी/पी/आर.पी.बी./वि.क्षे. रिकांगपिओ/107-177.—हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन विशेष क्षेत्र रिकांगपिओ के लिए विद्यमान भू-उपयोग नक्शे की बाबत नोटिस संख्या: हिम/एस0डी0टी0पी0/आर0पी0बी0/विशेष क्षेत्र, रिकांगपिओ/खण्ड-1/2015-463-545 तारीख 20-01-2017 को आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित किए गए थे और प्राप्त हुए आक्षेपों और सुझावों को विद्यमान भू-उपयोग नक्शे में, जहां कहीं अपेक्षित थे, उपांतरण, किए गए।

अतः पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिस दिया जाता है कि विशेष क्षेत्र, रिकांगपिओ के विद्यमान भू उपयोग नक्शे को एतद् द्वारा उपान्तरणों के साथ अंगीकृत किया जाता है और इसकी एक प्रति कार्यालय समय के दौरान निम्नलिखित कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध है:—

1. निदेशक,
नगर एवं ग्राम योजना विभाग,
हिमाचल प्रदेश।
2. सदस्य सचिव,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
रिकांगपिओ एवम् उप-मण्डलाधिकारी (ना0),
कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।
3. उपमण्डल नगर एवम् ग्राम योजना, कार्यालय,
रामपुर बुशैहर।

उक्त विद्यमान भू-उपयोग नक्शा इस नोटिस के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगा और यह इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि नक्शा सम्यक् रूप से तैयार किया गया है और अंगीकृत किया गया है।

स्थान:—रामपुर

तारीख:— 27-05-2017

आदेश द्वारा,
जगत सिंह नेगी,
अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण रिकांगपिओ एवम्
उपाध्यक्ष, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला।

**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT
HIMACHAL PRADESH**

FORM-6

**NOTICE OF ADOPTION OF EXISTING LANDUSE MAP
SPECIAL AREA DEVELOPMENT AUTHORITY, RECKONG PEO**

Dated: the 27th May, 2017

No.HIM/SDTP/RPB/SADA-R-Peo/Vol-I/2015-107-117.—Whereas, objections and suggestions were invited *vide* Notice No. HIM/SDTP/RPB/SADA-Reckong Peo/Vol-I/2015-463-545 dated 20th January, 2017, with respect to the Existing Land Use Map for Special Area, Reckong Peo under sub-section (1) of section 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977); and whereas, objections and suggestions were received and the modifications have been made in the said Existing Land Use Map, wherever, required.

Now, therefore, in exercise of the powers vested under sub-section (3) of section 15 of the Act *ibid*, Notice is given that the Existing Land Use Map for Special Area, Reckong Peo is hereby adopted with modifications and a copy thereof is available for inspection during office hours in the following officers :—

1. The Director,
Town and Country Planning Department,
Himachal Pradesh.
2. The Member Secretary,
Special Area Development Authority,
Reckong Peo-cum-Sub-Divisional Magistrate (Civil),
Kalpa, District: Kinnaur, Himachal Pradesh.
3. Sub-Divisional Town Planning Office,
Rampur Bushahr.

The said Existing Land Use Map shall come into operation with effect from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh and it shall be conclusive evidence of the fact that the Map has been duly prepared and adopted.

Place : Rampur
Date : 27-05-2017

By order,
JAGAT SINGH NEGI,
Chairman,
Special Area Development Authority,
Reckong-Peo-Cum-Deputy Speaker,
H.P. Vidhan Sabha Himachal Pradesh.

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla-02, the 25th May, 2017*

No. TPT-A(4)-9/2015.—In exercise of power conferred by Section 75 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988) the Central Government has made schemes for regulating the business of renting of Motor Cycles to person desiring to drive the Motor Cycles for their own use and matter connected there with namely Rent a Motor Cycle Scheme, 1997 and for regulating the business of renting of Motor Cabs to persons desiring to drive the Cabs for their own use and matter connected there with namely Rent a Cab Scheme, 1989.

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to adopt and implement the Rent a Motor Cycle Scheme, 1997 and Rent a Cab Scheme, 1989 in the State of Himachal Pradesh with immediate effect in public interest.

By order,
SANJAY GUPTA,
Principal Secretary (Transport).

TRANSPORT DEPARTMENT**ADDENDUM***Shimla-2, the 27th May, 2017*

No. TPT-F(7)1/2017.—In this department Notification No. Tpt-F(7)-1/2017 dated 28-03-2017, the words in Sr. No. 1 (b) “diesel driven vehicles” be read as “petrol/diesel driven vehicles”.

By order,
SANJAY GUPTA,
Pr. Secretary (Transport).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION***Shimla, the 15th May, 2017*

No. HHC/GAZ/14-288/2006.—Hon’ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant *expost facto* sanction of 15 days earned leave *w.e.f.* 17-04-2017 to 01-05-2017 with permission to prefix gazetted holidays and Sunday which fell on 14-04-2017 to 16-04-2017 in favour of Shri Ramnik Sharma, Senior Civil Judge-*cum*-ACJM (I), Rohru, District Shimla, H.P.

Certified that Shri Ramnik Sharma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Ramnik Sharma would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-ACJM (I), Rohru, District Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 11th May, 2017

No.HHC/GAZ/ 14-261/03-I.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant *expost facto* sanction of 05 days commuted leave *w.e.f.* 17-04-2017 to 21-04-2017 in favour of Smt. Parveen Chauhan, Sr. Civil Judge-cum-CJM, Bilaspur, H.P.

Certified that Smt. Parveen Chauhan has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Parveen Chauhan would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-cum-CJM, Bilaspur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd May, 2017

No.HHC/GAZ/14-369/2015.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 02 days' commuted leave for 4-5-2017 and 5-5-2017 in favour of Sh. Sharad Kumar Lagwal, Additional District and Sessions Judge-II, Kangra at Dharamshala, H. P.

Certified that Sh. Sharad Kumar Lagwal had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Sharad Kumar Lagwal would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge-II, Kangra at Dharamshala, H. P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th May, 2017

No. HHC/GAZ/14-282/2005.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 15 days' earned leave *w.e.f.* 26-5-2017 to 9-6-2016 with permission to suffix Second Saturday and Sunday falling on 10.6.2017 and 11.6.2016 in favour of Shri Amit Mandyal, Senior Civil Judge-*cum*-ACJM-I, Palampur, District Kangra, H. P.

Certified that Shri Amit Mandyal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Amit Mandyal would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-*cum*-ACJM-1, Palampur, District Kangra, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 11th May, 2017

No.HHC/GAZ/ 14-363/2015.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant *expost facto* sanction of 03 days commuted leave *w.e.f.* 21-04-2017 to 23-04-2017 in favour of Sh. R. Mihul Sharma, Civil Judge-*cum*-JMIC-IV, Una, H. P.

Certified that Sh. R. Mihul Sharma has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. R. Mihul Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMIC-IV, Una, H. P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th May, 2017

No.HHC/GAZ/14-272/03.— Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 17 days earned leave *w.e.f.* 24-05-2017 to 09-06-2017 with permission to suffix Second Saturday and

Sunday falling on 10-06-2017 and 11-06-2017 in favour of Sh. Hoshiar Singh Verma, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Una, H. P.

Certified that Sh. Hoshiar Singh Verma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Hoshiar Singh Verma would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-ACJM, Una, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd May, 2017

No.HHC/GAZ/14-358/2015.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 15 days earned leave *w.e.f.* 26-05-2017 to 09-06-2017 with permission to suffix Second Saturday and Sunday falling on 10-06-2017 and 11-06-2017 in favour of Sh. Gaurav Chaudhary, Civil Judge *cum*-JMJC-III, Hamirpur, H. P.

Certified that Sh. Gaurav Chaudhary is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Gaurav Chaudhary would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMJC-III, Hamirpur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 20th May, 2017

No.HHC/GAZ/14-319/2014.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave *w.e.f.* 22-5-2017 to 27-5-2017 with permission to affix Sunday falling on 21-05-2017 and 28-05-2017 respectively in favour of Shri Vikas Bhardwaj, Additional District and Sessions Judge, Ghumarwin, District Bilaspur, H. P.

Certified that Shri Vikas Bhardwaj is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Vikas Bhardwaj would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge, Ghumarwin, District Bilaspur, HP but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th May, 2017

No.HHC/GAZ/14-268/2003.—Hon'ble the Acting Chief Justice has been pleased to grant 08 days earned leave *w.e.f.* 18-5-2017 to 25-5-2017 in favour of Shri Arvind Kumar, Senior Civil Judge-*cum*-CJM, Kinnaur at Reckong Peo.

Certified that Shri Arvind Kumar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Arvind Kumar would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-*cum*-CJM, Kinnaur at Reckong Peo, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 24th May, 2017

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H. P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-*cum*-JMJC-VI, Shimla, H. P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge-*cum*-JMJC-VIII, Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. *etc.* in respect of establishment attached to the aforesaid Court *w.e.f.* 21-5-2017 to 28-5-2017 or till Ms. Sonal Thama, Civil Judge-*cum*-JMJC-VIII, Shimla joins her duty.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001**NOTIFICATION***Shimla, the 24th May, 2017*

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H. P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge, CBI Court, Shimla, H. P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of District and Sessions Judge (Forests), Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T. A. *etc.* in respect of establishment attached to the aforesaid Court with immediate effect till Sh. Rajan Gupta, District and Sessions Judge (Forests), Shimla joins his duty.

By order,
Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 20th May, 2017*

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Acting Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H. P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge-cum-JMIC-II, Palampur, District Kangra, H. P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Senior Civil Judge-cum-ACJM-1, Palampur, District Kangra, H. P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary T.A. *etc.* in respect of the aforesaid Court under Major head “2014 Administration of Justice” during the earned leave period of Shri Amit Mandyal, Senior Civil Judge-cum-ACJM-1, Palampur, District Kangra, H. P. *w.e.f.* 26-5-2017 to 9-6-2016 with permission to suffix Second Saturday and Sunday falling on 10-6-2017 and 11-6-2017 or until he returns from leave.

By order,
Sd/-
Registrar General.

ब अदालत प्रेम सरिता, सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) कल्या, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

नम्बर मुकद्दमा :
02 / 2017

तारीख रजुआ
01-05-2017

तारीख फैसला

श्री किशोरी लाल पुत्र श्री जीत राम, ग्राम ब्रेलंगी, तहसील कल्या, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता, ब्रेलंगी, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

दरखास्त राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती करने बारे।

प्रार्थी श्री किशोरी लाल पुत्र श्री जीत राम, ग्राम ब्रेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 ने राजस्व अभिलेख उप महाल ब्रेलंगी में नाम दुरुस्ती हेतु इस अदालत में आवेदन पत्र गुजार रखी है। उनका कहना है कि उनका नाम किशोरी लाल पुत्र जीत राम है जबकि राजस्व कागजात उप महाल ब्रेलंगी में किशोर कुमार पुत्र जीत राम दर्ज किया गया है जो गलत है इसे दुरुस्त करने का उन्होंने अनुरोध कर रखा है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम राजस्व रिकार्ड उप महाल ब्रेलंगी में किशोरी लाल करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 17-06-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा उक्त नाम दुरुस्त करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-05-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया।

मोहर।

प्रेम सरिता,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत प्रेम सरिता, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

श्री सुनील कुमार पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह, निवासी गांव दुनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता ग्राम दुनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

दरखास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुनील कुमार ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनकी पुत्री विन्नी नेगी का जन्म दिनांक 28-01-2010 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत दुनी में नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत दुनी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 19-06-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत दुनी को उक्त जन्म पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-05-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया।

मोहर।

प्रेम सरिता,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील सैंज,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश**

ब्रिकमू देवी पत्नी श्री लोभू राम, निवासी गांव झलौट, डा0 शलवाड़, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू,
हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—ग्राम पंचायत रिकार्ड में पुत्री का नाम व जन्म तिथि की प्रविष्टि ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने
बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ब्रिकमू देवी पत्नी श्री लोभू राम, निवासी गांव झलौट, डा0 शलवाड़, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक दरखास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत धाउगी के रिकार्ड में प्रार्थिया की पुत्री कु0 नीता देवी की जन्म तिथि 01-01-2011 दर्ज नहीं है। इसे दर्ज करने बारे प्रार्थी ने एक शपथ-पत्र भी दिया है कि ग्राम पंचायत धाउगी में प्रार्थिया की पुत्री का नाम व जन्म तिथि की प्रविष्टि की जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 19-06-2017 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 17-05-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील सैंज,
जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश**

निरत सिंह पुत्र श्री गुलाब चन्द, निवासी गांव पटाहिला, डा0 वनोगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू,
हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—ग्राम पंचायत रिकार्ड में पुत्र का नाम व जन्म तिथि की प्रविष्टि बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निरत सिंह पुत्र श्री गुलाब चन्द, निवासी गांव पटाहिला, डा0 वनोगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में एक दरखास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत वनोगी के रिकार्ड में प्रार्थी के पुत्र श्री आदित्य चौहान जन्म तिथि 31-03-2012 की प्रविष्टि ग्राम पंचायत वनोगी के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। इसकी प्रविष्टि के बारे प्रार्थी ने एक शपथ-पत्र भी दिया है कि ग्राम पंचायत वनोगी के रिकार्ड में पुत्र का नाम आदित्य चौहान जन्म तिथि 31-03-2012 दर्ज किया जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 19-06-2017 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 17-05-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सैज, जिला कुल्लू।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री ललित शर्मा पुत्र श्री भगवान दास, निवासी धमेऊली, डाकघर पलाच, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र आर्दश शर्मा की जन्म तिथि 15-12-2013 है, जो कि ग्राम पंचायत पलाच के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पुत्र आर्दश शर्मा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पलाच के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-06-2017 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।

आज दिनांक 18-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री विजय कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी शपनील, डाकघर अनाह, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसी पुत्री प्रियन्जल की जन्म तिथि 10-03-2013 है, जो कि ग्राम पंचायत श्री कोट के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पुत्री प्रियन्जल की जन्म तिथि ग्राम पंचायत श्री कोट के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-06-2017 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।

आज दिनांक 13-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्रीमती वेगू देवी पत्नी श्री वीणे राम, निवासी दारण, डाकघर नोहाण्डा रोपा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री सीता देवी की जन्म तिथि 22-02-1982 है, जो कि ग्राम पंचायत नोहाण्डा के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पुत्री सीता देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नोहाण्डा के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-06-2017 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।

आज दिनांक 13-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री उत्तम सिंह, निवासी तरगाली, डाकघर मंगलौर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 23-02-2017 को श्रीमती प्रोमिला कुमारी से विवाह किया है, जो कि ग्राम पंचायत मंगलौर के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी प्रोमिला कुमारी का नाम ग्राम पंचायत मंगलौर के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-06-2017 को असातन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।

आज दिनांक 13-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री हेमन्त नेगी पुत्र श्री कमल नैण, निवासी गांव खडवाली, डाकघर पलाच, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 12-07-2013 को श्रीमती तमन्ना देवी से विवाह किया है, जो कि ग्राम पंचायत बलागाड के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी तमन्ना देवी का नाम ग्राम पंचायत बलागाड के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-06-2017 को असातन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।

आज दिनांक 13-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री दुले राम पुत्र श्री खीमें राम, निवासी गांव गहीधार, डाकघर गहीधार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 20-03-2016 को श्रीमती दीपा देवी से विवाह किया है, जो कि ग्राम पंचायत कंढीधार के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी दीपा देवी का नाम ग्राम पंचायत कंढीधार के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-06-2017 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।

आज दिनांक 13-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री विजय कुमार पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी शपनील, डाकघर अनाह, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र ओवी ठाकुर की जन्म तिथि 07-03-2015 है, जो कि ग्राम पंचायत श्री कोट के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पुत्र ओवी ठाकुर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत श्री कोट के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-06-2017 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।

आज दिनांक 13-04-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती बारे।

श्रीमती ममता पत्नी श्री चिरंजी लाल पुत्र श्री नीरत सिंह, गांव रम्बी, डाकघर कलबारी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय/न्यायालय में बमय शपथ-पत्र आवेदन किया है कि उसकी पुत्री लीना ठाकुर के जन्म प्रमाण-पत्र में नगर पंचायत बन्जार के परिवार रजिस्टर में पुत्री लीना ठाकुर की माता का नाम किरन लिखा गया है जो गलत है जबकि पुत्री लीना ठाकुर की माता का नाम ममता है जो सही नाम है जिसे दुरुस्त किया जाए।

इस सम्बन्ध में इस इशतहार के माध्यम से हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि उजर/एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस कार्यालय/न्यायालय में अपना दावा इस इशतहार के जारी होने के एक माह के भीतर पेश कर सकते हैं अन्यथा यह समझा जाएगा कि उक्त दुरुस्ती करने बारे किसी को कोई एतराज न है तथा तदानुसार आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

किस्म मुकद्दमा : राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

श्री हेम राज पुत्र श्री सेस राम, गांव मंदोली, डाकघर पलाच, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय/न्यायालय में बमय शपथ-पत्र आवेदन किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में खीमी राम लिखा गया है जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का सही नाम हेम राज है जो कि सही है जिसे दुरुस्त किया जाए।

इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह कौंसल इस कार्यालय/न्यायालय में अपना दावा इस इशतहार से जारी होने के एक माह के भीतर पेश कर सकते हैं, अन्यथा यह समझा जाएगा की उक्त दुरुस्ती करने में किसी को कोई एतराज/आपत्ति न है तथा नाम दुरुस्ती करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर,
हिमाचल प्रदेश**

ब मुकदमा : श्रीमती संतोष देवी पत्नी स्व० सोहनू, निवासी ग्राम बांदल सुराख, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर,
हि० प्र०

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र इन्द्राज जन्म तिथि।

श्रीमती संतोष देवी पत्नी स्व० सोहनू, निवासी ग्राम बांदल सुराख, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि० प्र० ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके दो पुत्रों क्रमशः यशपाल की जन्म तिथि 13-07-2012, करण की जन्म तिथि 25-02-2014 ग्राम पंचायत भाटगढ़ के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल सचिव, ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अब वह ग्राम पंचायत के रिकार्ड में अपने पुत्रों यशपाल, करण पुत्र संतोष देवी की जन्म तिथि 13-07-2012, 25-02-2014 दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम बांदल सुराख व प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थिया के उक्त पुत्रों की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटगढ़, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि० प्र० में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 12-06-2017 को प्रातः 10.00 बजे असातन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 12-05-2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि० प्र०।